

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शायमल बनाम रामलाल (वैरा)

किरम मुकदमा प्रौ.पत्र 111-126 नं० 45 सन् 2022

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अडकाम जो इस
हुकम की तामील
मे जारी हुइ

4-3-22

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
अप्राथीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 29/3/22 की
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

29/3/22

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित,
अप्राथीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए
जिले शाब्दक किये गये। तहसीलदार मांडल से
मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शामिल पत्रावली
किया गया। अप्राथीगण से कितनी सर्वबाधावाजे
पिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, उनके
विक्रह एक तरफा कार्यवाही किये जाने का भांडेरा
पिया जातारहें वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर गिरणप पृथक से लिखा जाकर शाब्द
पत्र किया गया। पत्रावली के तल सुमार होकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 45/22-97-500

1- ~~श्री रामलाल 5/0 श्री प्रताप गुजर निवा मंगलपुरा तहसील~~

1- ~~श्री रामलाल 5/0 नाथु गुजर निवा मंगलपुरा तहसील~~

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 29-3-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का चांडरवा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2764/1806 कुल किता 0/ रकबा 0.7588 ई बीघा ... बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4/3/2022 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी करने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का चांडरवा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2764/1806 कुल किता 0/ रकबा 0.7588 ई बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चांडरवा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा